शाखा . डब्ल्यू .पी. . 65/2016 स्क्रूसा स्नाक्षाक्षभ्युचे, सहंयप्रदेश

पुष्ठ क्रमांक . . . . . . . . .

विषयः न्यायालयीनं प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 65 / 2016 द्वारा श्री राकेश दुवे एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 65/2016 द्वारा श्री राकेश दुबे एवं अन्य विरुद्ध शासन का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला कटनी से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, कटनी को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।

प्रकरण CAC की निम् कि से संबंधिय है।

स्मान ०१८ औररा स्साक्षापार्थ

11.8/21215/ स्तिन्ता/041./2016/1813-14201 पाल किंन 4.3.11

1341/compress

653/AMD

#### 0

1483/con 2016

722/AMD

## राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा निर्मा - 55 ते स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

विषय. W.P. . . 65/2016

पुष्ठ क्रमांक . . ? ? . . नस्ती क्र. विकि1/2016/14-८

विषय - न्यायानयीन प्रकरण क्रमांक डब्ब्म्पी. 65/2016 कारा श्री मार्चेका दुवे अने अन्य विरुद्ध शासन स्वं अन्य में ०१८ की नियुक्ति करने के संबंद्ध में। अनुमादन ई आस्पाट पट ०1 ८ उनादेश जारी किया गया है। अतिरक्षण आदेश हेत लाहित विकाग को डांकित जरला न्याहंमे। JOCES मकती विका विभाग का क्रोकित विमा यह संयुक्त संवातिका । राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल बिर्ण विभाग आपुचल राज्य शिक्षा केन्द्र

# कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा तिभाग) बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता/ब्याया/2016/१४/९

भोपाल,दिनांक- ..... करवरी 2016

### आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं० 5 के आदेश सत्ताईस के नियम शिक्षा स्कूल म०प्र० शासन, **त**था अधीन कं0एफ-16/517/97/वि०प्र०/२०, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्दयक, कटनी को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 65/2016 द्वारा श्री राकेश दुवे एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि ०मध्यप्रदेश विधि और विधार्यी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बार्तों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगाः-

 प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपार्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।

समस्त सुसँगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।

 वाद-पत्र/वाविका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधियक्ता से संपर्क करेगा।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

प्रभारी अधिकारी विम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-

वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप। (স্তা)

उन सभी दस्तायेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां। इसमें बाद की

सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।

7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

 जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध थारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आयेदन करना।

9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/विर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अंगली

कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।

10 वह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करनें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई व रह जाए।

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्र

अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उतरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है,समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

> (दीप्ति गीडे मुकर्जी) र राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यपदेश

पुष्टां.कं./रा.शि.के./सतर्कता/न्याया./2016/1812 पतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक-.....फरवरी २० १ ६ 4.3.16

। अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

2 प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

3 महाअधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 65/2016 द्वारा श्री राकेश दुबे एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में

4 जिला परियोजना समन्वयक, कटनी की ओर पालनार्थ। कृपया नियम समय में जवाबदावा प्रस्तुत

कर इस कार्यालय को अवगत करायें।

5 जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, जबलपुर की ओर सुचनार्थ ।

मध्यप्रदेश

### IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 11973/2016

WP/65/2016

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur अभियान के कार्यात कार्यात के कार

FOR ADM Fixed for 29-02-2016 WP-DA-17 Respondent No. 2

To,

Commissioner Rajya Shiksha Kendra, Pushak Bhawan B Wing Arera Hills, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

16 Jabalpur 25-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)
No. WP/65/2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Rakesh Dubey** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/65/2016** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 29-02-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparts